उत्तराखण्ड राज्य

# उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड़
## नवाड़खेड़ा, गौलापार हल्द्वानी (नैनीताल)

☎ 05946-240666] 240777 E-Mail:- highereducation.director@gmail.com, lawvidhi21@gmail.com

पत्रांकः–डिग्री विधि अनुभाग/2590/265/विविध पत्रावली/2023–24 दिनांकः20 जुलाई, 2023

महत्वपूर्ण/कोर्ट केस
समयबद्ध/अतिआवश्यक

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

**विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2482/2014 में पारित आदेश दिनॉक 12.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 719/XXIV-C-1/2023-242/2011 दिनॉक 19.07.2023 का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2482/2014 में पारित आदेश दिनॉक 12.05.2023, जो कि कार्यस्तर पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बधित है, के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः शासन के उक्त पत्र कों (**संलग्नों सहित**) इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा दिये गये आदेशानुसार यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर सूचना महाविद्यालय की Website पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को तत्काल आख्या प्रेषित करें।

संलग्नक : उपरोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक
उच्च शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

HIG-1-11/1101/10/2022-XXIV-C-1-Higher Education Department

/138955/2023

20.7.23

संख्याः– 719 / XXIV-C-1/2023-242/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून, दिनॉक 19 जुलाई, 2023

विषयः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–443/XVII-2/23–13(10)2016, दिनांक 12.07.2023 के साथ संलग्न राज्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–185/सर्वोच्च न्यायालय रिट 2482/2014, दिनांक 28.06.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में की गयी अपेक्षानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Deepak Kumar
Date: 19-07-2023 13:31:47

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

ई0 ग्र/XXIV-C-1/23-242/2011

संख्याः 443 / XVII-2 / 23—13(10)2016
E-37531

अ.स. (उच्च शिक्षा / आई.टी. / मुख्य / कार्मिक)

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(भीमसेन गुप्ता)
वरिष्ठ निजी सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 12 जुलाई, 2023

विषयः—मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—2482 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को सम्बोधित पत्रांक—185 / सर्वोच्च न्यायालय रिट 2482 / 2014 दिनांक 28.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधितए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका संख्या 2482 / 2014 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को जारी विस्तृत दिशा—निर्देशों के क्रम में आख्या उपलब्ध कराई गई है। आख्या के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्यतः समस्त कार्यालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, संस्थानों, निकायों में किया जाना है। आन्तरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई—मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) के संपर्क नंबर, ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रकिया, साथ ही प्रासंगिक नियम, विनियम और आंतरिक नीतियां संबंधित प्राधिकरण / कार्यकारी संगठन / संस्था / निकाय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना है।

2. इस संबंध में उक्त आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्देश / बिन्दु संख्या 77 के उप बिन्दु (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (viii) के अनुपालन में अपने—अपने स्तर पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 11-07-2023 20:15:40

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

(प्रशान्त कुमार आर्य)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

2423/DS/13
US(D)

13.07.23
(व्योमकेश दूबे)
उप सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

Generated from eOffice by SANA MALIK, RO-SM, REVIEW OFFICER-WECD, WECD Department on 12/07/2023 12:40 PM

/137013/2023

पृ0सं0: ———— / XVII–2 / 23–13(10)2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **समस्त, जिलाधिकारी,** उत्तराखण्ड को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अनुपालन में निर्देश / बिन्दु संख्या 77 (i) के अनुपालन हेतु प्रेषित।
2. **सचिव,** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को निर्देश / बिन्दु संख्या 77(vi) के अनुपालन हेतु प्रेषित।
3. **सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों** को निर्देश / बिन्दु संख्या 77(iv) के अनुपालन हेतु प्रेषित।
4. **सचिव,** उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली, नैनीताल को निर्देश / बिन्दु 77(vii) के अनुपालन हेतु प्रेषित।
5. **सचिव,** उजाला अकादमी भवाली, ए0टी0आई0, नैनीताल को निर्देश / बिन्दु संख्या 77(iv) के अनुपालन हेतु प्रेषित।



Generated from eOffice by SONIA MALIK, RO-SM, REVIEW OFFICER-WECD, WECD Department on 12/07/2023 12:22 PM

R-443/XVII-2/2023

प्रेषक,

राज्य परियोजना अधिकारी,
उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
सुद्धोवाला, देहरादून।

पत्रांक: 185/सर्वोच्च न्यायालय रिट 2482/2014 दिनांक 18 जून, 2023

**विषय– मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 का अनुपालन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 694/वाद/याचिका 2482/2014, 2023–24 दिनांक 2 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन हेतु आख्या प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं0 2482/2014 कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम के कियान्वयन से सम्बन्धित हैं, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को विस्तृत निर्देश जारी किये गये है, जारी निर्देशों के क्रम में आख्या निम्नानुसार सादर प्रस्तुत हैं:--

77. (i) भारत संघ, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थानों, निकायों आदि ने ICC/LCS/IC का गठन किया है और यह कि उक्त समितियों की संरचना पूर्ण रूप से PoSH अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हैं।

**आख्या:** उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव है कि (1) सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से समस्त विभागों व विभागाध्यक्षों को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाये कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से समस्त कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थानों, निकायों में किया जाये। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा जाये कि, कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 की धारा 5 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को अद्यतन किया जाये। सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रति सम्बन्धित विभागों व जिलाधिकारियों द्वारा अपनी शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायें।

(2) समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से भी आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के गठन हेतु अपील जारी की जा सकती है। समस्त समितियां कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुरूप ही गठित की जायें।

(3) उपर्युक्त अपील महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जा सकती है।

77. (ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आन्तरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई–मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्ति (व्यक्तियों ) के संपर्क नंबर, आनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही प्रासंगिक नियम, विनियम और आंतरिक नीतियां संबंधित प्राधिकरण /कार्यकारी संगठन/संस्था/निकाय की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध करा दी जाये। अपलोड की गई जानकारी को समय–समय पर अद्यतन भी किया जाएगा।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का विवरण विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र व विज्ञप्ति में दिया जा सकता हैं।

77. (iii) शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर पेशेवरों के समस्त वैधानिक निकायों (डाक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंटस, लेखाकारों, इंजीनियरों, बैंकरों और अन्य पेशेवरों सहित) विश्वविद्यालयों, कालेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों व शैक्षणिक संस्थानों और राजकीय व निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा भी आन्तरिक परिवाद समिति के गठन हेतु समान तरह का अभ्यास किया जायेगा।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का विवरण विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र व विज्ञप्ति में दिया जा सकता हैं।

77. (iv) प्राधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों को उनके कर्त्तव्यों से परिचित कराने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और जिस तरीके से कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायत प्राप्त होने पर जांच किस प्रकार की जानी चाहिए, शिकायत प्राप्त होने के बिंदु से, जांच पूरी होने तक और रिपोर्ट जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का विवरण विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र व विज्ञप्ति में दिया जा सकता हैं। साथ ही उजाला अकादमी भवाली, ए0टी0आई0 नैनीताल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से अनुरोध किया जा सकता है कि विभिन्न विभागों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति व प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाये। प्रशिक्षण के व्यय का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जा सकता है।

77. (v) प्राधिकारी/प्रबंधन/नियोक्ता नियमित रूप से आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों का कौशल बढाने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे और महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में शिक्षित करेंगे।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का विवरण विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों को सम्बोधित पत्र व

विज्ञप्ति में दिया जा सकता हैं। कृत कार्यवाही का विवरण सम्बन्धित विभाग अपनी विभागीय/संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकते है।

77. (vi) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्राधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं, कर्मचारियों और किशोर समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए माडयूल विकसित करेंगे जिसे उनके वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन हेतु सचिव महिला सशक्तिरण एवं बाल विकास की ओर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुरोध पत्र भेजा जा सकता है।

77. (vii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा अपने वार्षिक कैलेंडर में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में स्थापित आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों की क्षमता निर्माण, अधिनियम और नियमों के तहत जांच करने और मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए, अभिविन्यास कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं को शामिल किया जायेगा।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड न्यायिक अकादमी, भवाली को पत्र प्रेषित किया जा सकता हैं।

77. (viii) इस निर्णय की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को प्रेषित की जाएगी जो अपने–अपने मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन सभी संबंधित विभागों, वैधानिक प्राधिकरणों, संस्थानों, संगठनों आदि द्वारा निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। फैसले की एक प्रति सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाएगी जो संबंधित विभागों द्वारा इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिवों और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों की होगी।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड के समस्त विभागों को पत्र प्रेषित किया जा सकता हैं।

77. (ix) सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति निदेशक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, NALSA, अध्यक्ष बार काउंसिल आफ इंडिया और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को प्रेषित करेगी। रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, काउंसिल आफ आर्किटेक्चर, इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स, इंस्टीटयूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज और इंजीनियरिंग काउंसिल आफ इंडिया को जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रेषित करेंगी।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा किया जाना हैं।

77. (x) सदस्य–सचिव, NALSA से अनुरोध है कि वे इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को प्रेषित करें। इसी तरह, राज्य उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल इस निर्णय की एक प्रति राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और अपने संबंधित राज्यों के प्रधान जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों को भेजेंगे।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन NALSA व मा0 उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाना हैं।

77. (xi) अध्यक्ष, बार काउंसिल आफ इंडिया व उपर्युक्त उप–पैरा (ix) में उल्लिखित शीर्ष निकाय, जो लागू हो, अपने स्तर से इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य बार काउंसिलों और राज्य स्तरीय परिषदों को प्रेषित करेंगे।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन बार काउंसिल आफ इंडिया व शीर्ष निकायों द्वारा किया जाना हैं।

78. भारत संघ और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करें ।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन करने हेतु शासन स्तर से एटवोकेट ऑन रिकोर्ड नामित कराये जाने की कार्यवाही की जानी है।

79. पक्षकारों को अपने स्वयं के खर्च वहन करने के लिए उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति दी जाती है।

**आख्याः** उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन करने हेतु शासन स्तर से एटवोकेट ऑन रिकोर्ड नामित कराते हुये उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जानी है।

**संलग्नकः** यथोपरि।

भवदीय,

(मोहित चौधरी)
राज्य परियोजना अधिकारी

पृष्ठांकन सं0 एव तिथि उपरोक्तानुसार

**प्रतिलिपिः** सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन, अनुभाग–2 की सेवा में सादर प्रेषित।

राज्य परियोजना अधिकारी